[illegible] बनाम तहसीलदार जी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	दावा प्र.सं. -08/2022
5-12-22	पत्रावली पेश हुई। वकलाय पक्षकार उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19-12-22 को पेश हो।
19.12.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 26.12.2022 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
26.12.2022	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत उद्घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] तैयार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.01.02 12:17:18 IST Reason: SelfAttested 26/12/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
08/2022	2022/0016	17.01.2022	26.12.2022

उनवान प्रकरण

केशवसिंह पुत्र भीखसिंह आयु 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपर जिला सीकर राज0 हाल निवासी 301 शिवालिक फ्लैट आनन्द भवन तरसाली बडौदा गुजरात।

—— वादी——

बनाम

तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादी——

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित :–

श्री जे0पी0 गुर्जर, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

दावा बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:18 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस [illegible] कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्र[illegible] खसरा नम्बर 293/4 रकबा 0.98 है0, ख0 न0 446/4 रकबा 0.94 है0, ख0 [illegible] 267 रकबा 0.25 है0 अवस्थित तन

26/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं। वादी उक्त भूमि भूमियों का काबिज खातेदार हैं। भूमि खसरा नम्बर 445 रकबा 0.01 है0 कुंआ अवस्थित तन ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। वादी उक्त भूमि कुंआ खसरा नम्बर 445 रकबा 0.01 है0 का 1/5 हिस्सा का काबिज खातेदार है। उक्त वर्णित भूमिया एवं मद नम्बर 2 में सन्दर्भित कुंआ में 1/5 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे वादी नाम केशुसिंह पुत्र भीखसिंह राजपूत अंकित है। उक्त कृषि भूमि एवं कुंआ वादी की पैतृक भू–संपदा हैं। वादी को इनके जन्म स्थान ग्राम में आम बोलचाल की भाषा में केशुसिंह के नाम से पुकारा जाता हैं। अब वादी काफी वक्त से बड़ौदा (गुजरात) में कार्यरत हो व्यवसाय करता हैं और हाल में वादी 301 शिवालिक फ्लेट आनन्द भवन तरसाली बड़ौदा गुजरात का स्थायी रूप से निवासी हैं और वादी ने अपना नाम केशुसिंह पुत्र भीखसिंह राजपूत के स्थान पर केशवसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत परिवर्तित कर लिया हैं। जिसका गुजरात राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित होकर नाम केशवसिंह पुत्र भीखसिंह राजपूत (पब्लिकेशन) प्रकाशित हो चुका हैं। इस प्रकार वादी ने पूर्ण विधिक प्रकिया के तहत अपना नाम केशुसिंह के स्थान पर केशवसिंह परिवर्तित किया हैं। वादी ने वादपत्र के साथ अपने एवं समस्त दस्तावेजी साक्ष्य गुजरात राज्य सरकार के नाम परिवर्तित का गजट नोटिफिकेशन की प्रति, अपना आयकर विभाग भारत सरकार का कार्ड की प्रति, पहचान पत्र आदि संलग्न किया है। वादी के पिता स्व0 भीखसिंह पुत्र दूलसिंह राजपूत के स्वर्गवास के पश्चात विरासत में नामान्तकरण में केशुसिंह पुत्र भीखसिंह राजपूत ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया जबकि वादी के समस्त दस्तावेज आदि में केशवसिंह पुत्र भीखसिंह के नाम से हैं। वादी केशवसिंह पुत्र भीखसिंह ही केशुसिहं पुत्र भीखसिंह के नाम से हैं वादी केशवसिंह पुत्र भीखसिंह ही केशुसिंह पुत्र भीखसिंह राजपूत हैं। इस प्रकार केशुसिंह पुत्र भीखसिंह राजपूत ही केशवसिंह पुत्र भीखसिंह राजपूत एक ही व्य[illegible] कुंआ के राजस्व अभिलेख खातेदारी में वादी का नाम केशुसिंह एवं अन्य समस्त [illegible]कारी रिकार्ड में केशवसिंह नाम होने भविष्य में विधिक अड़चने एवं परेशानी [illegible] संभावनाएं हैं। इसलिए वादी ने उक्त राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने पर राजस्व अधिकारियों से प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड

26/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:18 IST
Reason: SelfAttested

दुरूस्ती बाबत प्रयास किये। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने पर माननीय न्यायालय में उक्त वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। वादी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी प्रार्थना पत्र राजस्व अधिकारी को पेश कर निवेदन किया परन्तु सभी प्रयास विफल होने पर एवं राजस्व अधिकारियों के इंकार से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादपत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है। वादी ने यह वाद राजस्व ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 293/4 रकबा 0.58 है0, ख0 न0 446/4 रकबा 0.94 है0, ख0 न0 267 रकबा 0.25 है0 खसरा नम्बर 446 रकबा 0.01 है0 कुआ का 1/5 हिस्सा की खातेदारी केशुसिंह पुत्र भीखसिंह के स्थान पर केशवसिंह पुत्र भीखसिंह राजपूत उद्घोषित किये जानें और तद्नुसार ही कृषि भूमियां (कुंआ) के राजस्व अभिलेख खातेदारी में दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी तहसीलदार को आदेश फरमाये जाने का निवेदन वादी द्वारा अपने वादपत्र में किया है। वाद वास्ते घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी स्वय का मुख्य परीक्षण में एंव वादी साक्ष्य गवाह में भगवानसिंह पुत्र भीखसिंह एवं मूलचन्द पुत्र बद्रीनारायण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2175/भू.अ./2022 दिनांक 02.08.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा साक्ष्य वादी में वादी व गवाहान् के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाकर ... गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:18 IST
Reason: SelfAttested

26/12/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 तीन जमाबन्दीयॉं, आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, गुजरात सरकार द्वारा जारी ड्राईविंग लाईसेन्स, भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की फोटोप्रति, गुजरात सरकार के गजट नोटिफिकेशन पार्ट–2 दिनांकित 30.05.2013 की फोटोप्रति, तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉंच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत साक्ष्य वादी व गवाहान् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादी के नाम हिस्सानुसार सम्पूर्ण व कुआं में 1/4 हिस्सा वादी के नाम से दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादी साक्ष्य में गवाहान् भगवानसिंह पुत्र भीखसिंह एवं मूलचन्द पुत्र बद्रीनारायण के द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉंच रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम नालोट के भूमि ख0 न0 293/4, 446/4, 267 की खातेदारी केशुसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। राजस्व ग्राम नालोट के भूमि ख0 न0 445 रकबा 0.01 है0 में हिस्सा 1/5 की खातेदारी केशुसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थी खातेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, व गजट नोटिफिकेशन की प्रति में केशवसिंह पुत्र भीखसिंह अंकित हैं। उक्त संदर्भ में मजमें–ए–आम में जानकारी करने पर केशुसिंह पुत्र भीखसिंह व केशवसिंह पुत्र भीखसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया हैं। पटवारी हल्का जोरावरनगर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट, फर्द मौका रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा पेन कार्ड , मतदाता पहचान पत्र व गजट नोटिफिकेशन के आधार पर राजस्व ग्राम नालोट की भूमि ख0 न0 193/4, 446/4, 267/[illegible] में दर्ज केशुसिंह पुत्र भीखसिंह के स्थान पर केशवसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत शुद्ध किये जाने की अभिशषा की गई

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

26/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:18 IST
Reason: SelfAttested

है। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जाँच रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी का नाम केशुसिंह पुत्र भीखसिंह के स्थान पर केशवसिंह पुत्र भीखसिंह राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 293/4 रकबा 0.58 है0, ख0 न0 446/4 रकबा 0.94 है0, ख0 न0 267 रकबा 0.25 है0 के सम्पूर्ण हिस्सा एंव खसरा नम्बर 446 रकबा 0.01 है0 कुंआ के 1/5 हिस्सा अवस्थित तन ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की खातेदारी केशुसिंह पुत्र भीखसिंह के स्थान पर केशवसिंह पुत्र भीखसिंह राजपूत उद्घोषित किया जाता है तथा वादपत्र में सन्दर्भित कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में केशुसिंह पुत्र भीखसिंह के स्थान पर केशवसिंह पुत्र भीखसिंह राजपूत का नाम राजस्व अभिलेख राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

26/12/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.02 12:17:18 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक [illegible]12.2[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)